UPBD010006792026

<u>न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा।</u>

उपस्थित–अल्पना.....एच.जे.एस.।

(जे.ओ. कोड–यू.पी.05748)

दाण्डिक निगरानी सं0 26 सन् 2026

लोकेश त्रिपाठी पुत्र स्व0 बृजमोहन त्रिपाठी, निवासी–मो0 रामलीला मैदान के अन्दर अलीगंज बांदा, थाना–कोतवाली नगर, जिला–जिला बांदा।

.....निगरानीकर्ता

<u>बनाम</u>

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. शैलेन्द्र त्रिपाठी उर्फ बउवा पंडित पुत्र स्व0 रविकरण त्रिपाठी।
3. नागेन्द्र त्रिपाठी पुत्र स्व0 रविकरण त्रिपाठी।
4. शशिप्रभा त्रिपाठी पत्नी स्व0 रविकरण त्रिपाठी।

निवासीगण–गणेश भवन के पास अलीगंज, थाना–को0 नगर, जिला–बांदा।

.....प्रत्युत्तरदातागण

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान सिविल जज जू0डि0 त्वरित, बांदा द्वारा परिवाद संख्या 1538/IX/2025 लोकेश त्रिपाठी बनाम शैलेन्द्र त्रिपाठी आदि, थाना–को0 नगर, जिला बांदा अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 में पारित आदेश दिनांकित 12.12.2025 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2. निगरानीकर्ता द्वारा अपनी दाण्डिक निगरानी में कथन किया गया है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश सरसरी तौर पर बिना तथ्यों को गौर किये परिवाद के अभियुक्तगण को बिना निगरानीकर्ता को सुने उन्मोचित कर दिया गया है। मजि0 न्यायालय द्वारा विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना एक तरफा बनाकर उन्मोचन आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में मात्र अभियुक्त शैलेन्द्र द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांकित 06.12.2025 पर समस्त अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना साम्य न्याय/ऋजु न्याय परिकल्पना के प्रतिकूल है तथा अविधिक है। प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.12.2025 के तथ्य एवं याचना में भी विरोधाभाष है। अभियुक्त शैलेन्द्र द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.12.2025 की न तो कोई प्रति दाखिल की गयी है और न ही कोई प्रति निगरानीकर्ता को प्राप्त करायी गयी और 06 दिन की तारीख

Digitally signed by ALPANA SHARMA
Date: 2026.06.09 14:12:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लगाकर दिनांक 12.12.2025 को सभी अभियुक्तगणों को उन्मोचित कर दिया गया, जो साम्य न्याय के विपरीत है। निगरानीकर्ता दिनांक 12.12.2025 को बीमार होने की वजह से अधीनस्थ न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं आ सका था। बिना उसे सुने या अवसर दिये न्याय मंशा के विपरीत उन्हें उन्मोचित कर दिया गया। अभियुक्तगण माननीय सिविल जज जू0डि0/त्वरित बांदा द्वारा ही दिनांक 31.03.2022 को वास्ते विचारण अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 में तलब किया गया है। बाद तलबी एवं जमानत कराने अभियुक्तगण वादी मुकदमा की उपस्थिति के बावजूद भी धारा–244 दं0प्र0सं0 के बयान अभिलिखित नहीं किये गये है तथा बिना युक्तियुक्त आधार के अभियुक्तगण शैलेन्द्र, नागेन्द्र एवं शशिप्रभा को उन्मोचित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अन्याय होना सुस्पष्ट है। अभियुक्तगण अपराधी प्रवृत्ति के लोग है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2025 को अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने के तुरन्त बाद ही दिनांक 13.12.2025 को अभियुक्तगण शैलेन्द्र, नागेन्द्र एवं शशिप्रभा जिसकी प्राथमिकी दिनांक 13.12.2025 को अ0क0 943/2025 अन्तर्गत धारा–3(5), 191(2), 76, 110, 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 दर्ज करायी गयी। निगरानीकर्ता अपने परिवाद पर बल देना चाहता है तथा उसका निस्तारण गुण–दोष के आधार पर चाहता है। निगरानीकर्ता प्रकरण के निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा। निगरानी समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है। निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जा कर सिविल जज जू0डि0/त्वरित का आदेश दिनांक 12.12.2025 निरस्त किये जाने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

3. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रत्युत्तरदातागण सं0 2 ता 4 के विद्वान अधिवक्ता व प्रत्युत्तरदाता सं0 1 राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह विदित होता है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी लोकेश त्रिपाठी एडवोकेट के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रत्युत्तरदातागण के विरूद्व अन्तर्गत धारा–156(3) द0प्र0सं0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजि0 बांदा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसको विद्वान मुख्य न्यायिक मजि0 बांदा के द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 08.01.2021 को किया गया तथा परिवाद के रूप में दर्ज होने के उपरान्त प्रार्थी लोकेश त्रिपाठी के द्वारा अपना बयान अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 एवं धारा–202 दं0प्र0सं0 में पदमा त्रिपाठी एवं रामस्वरूप को परीक्षित कराया गया तथा विद्वान सिविल जज जू0डि0 त्वरित बांदा के द्वारा प्रार्थी को सुनने के उपरान्त दिनांक 31.03.2022 को आदेश पारित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण के विरूद्व धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के तहत अपराध कारित किया जाना पाते हुए प्रत्युत्तरदातागण/अभियुक्तगण शैलेन्द्र त्रिपाठी, नागेन्द्र त्रिपाठी व शशिप्रभा त्रिपाठी को धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत

दण्डनीय अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया तथा अभियुक्तगण तलबी आदेश पारित होने के उपरान्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा पत्रावली को धारा–244 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अंकित किये जाने हेतु नियत किया गया, लेकिन परिवादी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने पर दिनांक 14.11.2025 को परिवादी का अन्तर्गत धारा–244 दं0प्र0सं0 साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया तथा दिनांक 06.12.2025 को अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2025 को स्वीकृत करते हुए अभियुक्तगण को उन्मोचित कर दिया गया। निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2025 से व्यथित होकर यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

5. निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आदेश सरसरी तौर पर बिना तथ्यों को गौर किये तथा निगरानीकर्ता को सुने बिना पारित किया गया है तथा कोई प्रति निगरानीकर्ता को प्राप्त नहीं करायी गयी। दिनांक 12.12.2025 को निगरानीकर्ता बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका था तथा अभियुक्तगण तलबी व जमानत कराने के बाद वादी की उपस्थिति के बावजूद धारा–244 दं0प्र0सं0 के बयान अभिलिखित नहीं किये गये तथा दिनांक 12.12.2025 को उन्मोचित किये जाने के बाद दिनांक 13.12.2025 को अभियुक्तगण द्वारा निगरानीकर्ता की पत्नी के साथ गंभीर घटना कारित कर दी गयी है तथा निगरानीकर्ता निगरानी पर बल देना चाहता है।

6. दं0प्र0सं0 के अध्याय 19 में मजि0 द्वारा वारण्ट मामलों के विचारण के संबंध में प्राविधान है तथा इस अध्याय के 'ख' भाग में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों के संबंध में धारा–244 दं0प्र0सं0 से धारा–247 दं0प्र0सं0 तक प्राविधान है तथा धारा–244 द0प्र0सं0 में अभियोजन के साक्ष्य के संबंध में प्राविधान है, जिसके अनुसार *जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारण्ट मामले में मजि0 के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है तब मजि0 अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए।*

7. धारा–245 दं0प्र0सं0 में यह प्राविधान है कि अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जायेगा– प्रस्तुत मामले में विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण को आदेश दिनांक 12.12.2025 के द्वारा धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के आरोपों से उन्मोचित किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा जमानत कराने के बाद यह पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को धारा–244 दं0प्र0सं0 के साक्ष्य हेतु नियत की गयी तथा आदेश पत्र पर अभियुक्तगण के हस्ताक्षर है तथा परिवादी के द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति के बावजूद अपना साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 दं0प्र0सं0 दर्ज नहीं कराया गया। दिनांक 29.

09.2025 को विचारण न्यायालय के द्वारा प्रार्थी लोकेश त्रिपाठी को धारा–244 दं0प्र0सं0 के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया, इसके बावजूद भी निगरानीकर्ता के द्वारा अपना साक्ष्य नियत तिथि पर अंकित नहीं कराया गया तथा दिनांक 14.11.2025 को परिवादी अनुपस्थित रहा एवं धारा–244 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी का धारा–244 दं0प्र0सं0 का साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया गया तथा पत्रावली को धारा–245 दं0प्र0सं0 के तहत आरोप पर सुनवाई हेतु नियत किया गया तथा दिनांक 06.11.2025 को अभियुक्त के द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय के द्वारा सुनवाई कर दिनांक 12.12.2025 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं अभियुक्तगण को आरोपों से उन्मोचित कर दिया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय की पत्रावली के आदेश पत्र से यह दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अन्तर्गत धारा–244 दं0प्र0सं0 के तहत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वह नियत तिथियों पर अनुपस्थित हो गया। यह पत्रावली वर्ष 2022 से लगभग 3 वर्षों से धारा–244 दं0प्र0सं0 के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नियत चलती रही। निगरानीकर्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मात्र एक अभियुक्त के द्वारा आवेदन दिया गया। जहां तक पत्रावली का प्रश्न है वह आरोप हेतु नियत थी तथा पत्रावली पर निगरानीकर्ता की ओर से कोई साक्ष्य अन्तर्गत धारा–244 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्व कोई साक्ष्य न होने के कारण अभियुक्तगण को आरोपों से उन्मोचित किया गया तथा निगरानीकर्ता के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसके द्वारा पूर्व तिथियों पर पत्रावली साक्ष्य में नियत होने के बावजूद अपना साक्ष्य क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया। निगरानीकर्ता स्वयं अधिवक्ता है तथा उसे समस्त कानूनी प्रक्रियां की जानकारी है तथा उसके द्वारा परिवाद को लम्बित रखा गया तथा अंतिम अवसर दिया जाने के बावजूद भी अपना साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 12.12.2025 को बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित न होना कहा गया है अन्य तिथियों पर भी वह अनुपस्थित रहा है तथा उसके द्वारा हाजिरी माफी प्रस्तुत किये गये है। इससे यह दर्शित होता है कि निगरानीकर्ता परिवाद को लम्बित रखना चाहता था। आदेश पत्र के अनुसार अभियुक्तगण नियत तिथियों पर उपस्थित आते रहे है तथा परिवादी नियमित रूप से न तो उपस्थित हुआ और न ही उसके द्वारा अपना साक्ष्य अंकित कराया गया।

8. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिथितियों को देखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2025 में कोई विधिक त्रुटि या अनियमितता दर्शित नहीं होती है तथा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत की गयी दण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

9. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2025 की पुष्टि की जाती है।

10. आदेश की प्रति संबंधित पत्रावली सहित अधीनस्थ न्यायालय को यथाशीघ्र सम्प्रेषित की जाये।

(अल्पना)
दिनांकः 09.06.2026 सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके सुनाया गया।

(अल्पना)
दिनांकः 09.06.2026 सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे.ओ. कोड नं0 UP05748)